



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 587 राँची, शुक्रवार, 14 आश्विन, 1945 (श०)
6 अक्टूबर, 2023 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

5 अक्टूबर, 2023

संख्या- परि.आ. (क.मा.)-249/2023- 1111--राज्य सरकार के द्वारा नागरिकों को शव वाहनों, 108 Emergency Medical Ambulance Services (EMAS) एवं मोबाईल मेडिकल यूनिट (MMU) में वाहनों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही है। इसके निमित्त स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभागीय संकल्प पत्रांक-806, दिनांक-16.07.2019 के द्वारा नीति निर्धारण/मार्गदर्शी सिद्धांत अधिसूचित की गई है। उक्त संकल्प के कण्डिका-07 में निम्न तथ्य वर्णित है :- “उक्त प्रयोजन हेतु जनता की निःशुल्क सेवाएँ प्रदान करने में प्रयुक्त वाहनों पर झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 (झारखण्ड अधिनियम, 03 2019) में शिथिलता प्रदान की जाती है।”

2. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा National Health Mission के अंतर्गत Emergency Medical Ambulance Services (EMAS) के तहत क्रय किये गये कुल 206 एम्बुलेंस वाहनों के निबंधन में अधिरोपित MV Tax की कुल राशि रुपये 3,65,54,700/- (तीन करोड़ पैंसठ लाख चौवन हजार सात सौ) रुपये माफ किये जाने का प्रस्ताव परिवहन विभाग, झारखण्ड के समक्ष अग्रसारित की गई थी।

3. झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 के नियम-15 में निम्न प्रावधान वर्णित है:-

“The State Government may be notification make an exemption, reduction in the rate of other modification in regard to the tax payable in respect of any motor vehicle or class of motor vehicles.”

4. तदालोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जनहित में National Health Mission के अंतर्गत Emergency Medical Ambulance Services (EMAS) के तहत क्रय किये गये कुल 206 एम्बुलेंस वाहनों के निबंधन में अधिरोपित MV Tax की कुल राशि रुपये 3,65,54,700/- (तीन करोड़ पैंसठ लाख चौवन हजार सात सौ) रुपये माफ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. प्रस्ताव पर विभागीय माननीय (परिवहन) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार
सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग।
